कृषि विभाग
राजस्थान DOA

कृषि विभाग द्वारा कृषकों को देय सुविधाएं

कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर

कृषकों को देय सुविधाएं

राज्य सरकार द्वारा कृषि की उन्नत तकनीक अपनाने व उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर आमदनी बढ़ाने के लिए केन्द्रीय व राज्य योजनायें संचालित की जा रही हैं। जिनके तहत विभाग द्वारा कृषकों को देय सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	गतिविधि/योजना	देय सुविधाएं
1.	**जल प्रबन्धन** 1.डिग्गी निर्माण (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषक द्वारा न्यूनतम चार लाख लीटर एवं इससे अधिक भराव क्षमता की पक्की अथवा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी निर्माण करने पर लागत का 75 प्रतिशत (25 प्रतिशत टोप अप सहित) अथवा अधिकतम राशि 3.00 लाख रूपये जो भी कम हो अनुदान देय है।
	2.खेत तलाई (फार्म पौण्ड़) निर्माण (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)	कृषक द्वारा न्यूनतम 400 घन मीटर आकार के कच्चे फार्म पौण्ड निर्माण पर लागत का 60 प्रतिशत (10 प्रतिशत टोप अप सहित) अथवा अधिकतम राशि 63,000 रु. तथा प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर लागत का 60 प्रतिशत (10 प्रतिशत टोप अप सहित) अथवा अधिकतम राशि 90,000 रु. जो भी कम हो, अनुदान देय है।
	3.जल हौज निर्माण (पी.एम.के.एस वाई.)	कृषक द्वारा न्यूनतम 1.00 लाख लीटर भराव क्षमता के जल हौज निर्माण पर लागत का 60 प्रतिशत (10 प्रतिशत टोप अप सहित) अथवा अधिकतम राशि 90,000 रु.जो भी कम हो अनुदान देय है।
	4.पाइपलाईन (एन. एफ.एस.एम./ गेहूँ/ दलहन/ओ.एस.)	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 रु. प्रति मीटर एचडीपीई पाइप या 35 रु. प्रति मीटर पीवीसी पाइप या 20 रु. प्रति मीटर एच.डी.पी.ई. लेमिनेटेड ले-फ्लेट ट्यूब पाइप अथवा अधिकतम राशि 15000 रु.जो भी आनुपातिक रूप से कम हो अनुदान देय है।
	5.फव्वारा संयंत्र (एन. एफ.एस.एम.- दलहन)	विभिन्न व्यास के फव्वारा संयंत्र की अनुमानित लागत राशि 19542 रु. से राशि 21901 रु. प्रति हैक्टर का लघु एवं सीमान्त किसानों को 55 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 45 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान देय है।
2.	**भ्रमण/ प्रशिक्षण** अन्तः/अन्तर्राज्जीय कृषक भ्रमण	5 से 7 दिवसीय भ्रमण इसके अन्तर्गत कृषकों को कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी एवं देखकर सीखने के उद्देश्य से भ्रमण करवाया जाता है ताकि उनकी कम खर्च में आय बढ़े एवं कृषि के उन्नत व नवीनतम तरीके अपनायें जा सकें। प्रतिभागियों की संख्या 40-50 प्रगतिशील महिला/पुरुष कृषक।
3.	**छात्राओं को प्रोत्साहन** कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि	• 10+2 (सीनियर सैकण्डरी):- 5000 रूपये प्रति वर्ष। • कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तरः- 12,000 रूपये प्रति वर्ष। • पी.एच.डीः- 15,000 रूपये प्रति वर्ष।
4.	**वृक्ष जनित तिलहन** पौधारोपण एन.एफ. एस.एम. (वृक्ष जनित तिलहन)	पौधारोपण हेतु नीम पर प्रति हैक्टर 17,000 रू., जोजोबा पर 35,000 रू., जेट्रोफा पर 41,000 रू., करंज पर 20,000 रू., महूआ पर 15,000 रू. एवं जैतून पर 48,000 रू. प्रति हैक्टर का अनुदान देय है। इस दौरान प्लांटेशन के संरक्षण हेतु नीम, करंज एवं महुआ हेतु दूसरे वर्ष से 2000 रू. तथा जोजोबा, जैतून एवं जेट्रोफा हेतु 3200 रू., प्रति हैक्टर प्रति वर्ष अनुदान देय है।
5.	**गुण नियंत्रण** बीज व उर्वरकों की जाँच	राज्य में स्थित उर्वरक व बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा कृषकों के द्वारा भेजे गये बीज व उर्वरक नमूनों की जाँच निःशुल्क की जाती हैं।
6.	**फसल बीमा** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी. वाई.)	• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ मौसम में 2 प्रतिशत व रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक व उद्यानिकी फसलों हेतु 5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि रखी गई है। • सिंचित क्षेत्र के लिये प्रीमियम की सीमा 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिये अधिकतम 30 प्रतिशत है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रीमियम दर आने पर शेष प्रीमियम राशि का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। • फसल बीमा योजना कृषकों के लिये स्वैच्छिक कर दी गई है। लेकिन ऋणी कृषकों को योजना से पृथक होने के लिये अंतिम तिथि से पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा। • बीमित फसली किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बुवाई नहीं कर पाता है तो यह जोखिम में शामिल है, उसे योजना के प्रावधानानुसार दावा राशि मिल सकेगी। (सिर्फ खरीद फसलों हेतु) • ओले गिरना, जल भराव, बादल फटना, प्राकृतिक आग, भू-स्लखन से नुकसान होने पर खेतवार नुकसान का आंकलन कर दावा राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। • फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में बंडल के रुप में सूखने के लिये रखी है और इस दौरान चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, ओलावृष्टि, बेमौसमी वर्षा से नुकसान होता है तो किसानों को दावा राशि दिये जाने का प्रावधान है। • इस योजना के तहत् बीमा इकाई क्षेत्रीय दृष्टिकोण आधार पर पटवार व तहसील स्तर पर लागू है। • वर्ष 2020 से बीमित राशि के निर्धारण हेतु दो विकल्प रखे गये हैं-

<table>
<tr><td></td><td></td><td>1. जिलों में डीएलटीसी (जिला स्तरीय तकनीकी समिति) की बैठक में अनुमोदित स्केल ऑफ फाईनेन्स के आधार पर।
2. गत सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों के औसत उपज को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) या बाजार भाव से गुणा करने पर।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जिप्सम वितरण कार्यक्रम
(अ) क्षारीय भूमि सुधार (नमसा)

(ब) पोषक तत्व के रुप में–</td><td>जिलेवार निर्धारित प्रति मै. टन दर का 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर किसानों को जिप्सम उपलब्ध कराया जा रहा है।
• जिप्सम का उपयोग मृदा सुधारक के रूप में मिट्टी की जाँच रिर्पोट में जिप्सम की आवश्यक मात्रा (जी.आर.वैल्यू) के अनुसार अधिकतम 5 मै. टन प्रति हैक्टर प्रति कृषक अधिकतम 2 हैक्टर तक अनुदान देय है।
• (एन.एफ.एस.एम. तिलहन/दलहन व गेहूँ) कृषकों को पोषक तत्वों के रूप में 250 किलो प्रति हैक्टर की दर से अधिकतम 2 हैक्टर हेतु अनुदान देय है।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>मृदा परीक्षण कार्यक्रम</td><td>मृदा एवं सिंचाई जल नमूनों का परीक्षण
• मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, क्षारीय एवं लवणीय नमूनों की जाँच, जिप्सम आवश्यकता की मात्रा व पानी के नमूने की जाँच हेतु प्रति नमूना राशि 5 रू. है।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)</td><td>• पर्यावरण व उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को कम करने हेतु जैविक गतिविधियों के लिये सहायता दी जाती है। योजना कलस्टर एप्रोच एवं पी.जी.एस. आधारित है।
• परम्परागत कृषि विकास योजना राज्य के आशान्वित जिलों (बारां, धौलपुर, करौली, जैसलमेर एवं सिरोही) में 25 कलस्टर्स में वर्ष 2020–21 से क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत निम्न गतिविधियों हेतु कृषकों को विभिन्न अनुदान सहायता देय है–
<table>
<tr><th>गतिविधि का नाम</th><th>देय अनुदान सहायता (राशि रुपये में)</th></tr>
<tr><td>भूमि का जैविक परिवर्तन</td><td>राशि 1500 रुपये प्रति हैक्टर</td></tr>
<tr><td>फसल पद्धति एवं जैविक बीज</td><td>राशि 1500 रुपये प्रति हैक्टर</td></tr>
<tr><td>जैव उर्वरक एवं कीटनाशी</td><td>राशि 1000 रुपये प्रति हैक्टर</td></tr>
<tr><td>हरी खाद का उपयोग</td><td>राशि 1000 रुपये प्रति हैक्टर</td></tr>
<tr><td>फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर (प्रौम)</td><td>राशि 1000 रुपये प्रति हैक्टर</td></tr>
<tr><td>वानस्पतिक काढ़ा इकाई</td><td>राशि 1000 रुपये प्रति इकाई</td></tr>
<tr><td>वर्मी कम्पोस्टिंग की सामग्री</td><td>राशि 3000 रुपये प्रति कृषक</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>10000 रुपये प्रति हैक्टर</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>सतत कृषि नेशनल मिशन फोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर(एन.एम.एस.ए.) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)</td><td>यह समन्वित कृषि पद्धति हेतु कलस्टर (100 हैक्टर) आधारित मिशन है।
• उद्यानिकी-आधारित कृषि पद्धति– आदान की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25,000 रू. प्रति हैक्टर फसल पद्धति सहित अनुदान देय है।
• पेड़-आधारित कृषि पद्धति– इस हेतु आदान की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15,000 रू. प्रति हैक्टर फसल पद्धति सहित अनुदान देय है।
• पशुपालन-आधारित कृषि पद्धति– गाय/भैंस आधारित पद्धति– इसके अन्तर्गत पशु की कीमत, परिवहन व्यय, पशु बीमा, पशु हेतु कन्संट्रेट की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40,000 रू. प्रति हैक्टर फसल पद्धति सहित अनुदान देय है।
• बकरी/ भेड़ आधारित पद्धति– भेड़/बकरी की कीमत, का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25,000 रू. प्रति हैक्टर फसल पद्धति सहित अनुदान देय है।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना</td><td>• ''खेती में जान तो सशक्त किसान'' की सोच रखते हुए वर्ष 2019–20 में कृषि लागत को कम करने व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई। यह एक प्रकार की देशी गाय द्वारा उत्पादित गौ–उत्पाद आधारित प्राकृतिक खेती है।
• मुख्य गतिविधियां :- ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण, किसानों को एक्सपोजर भ्रमण, जैविक बीज/पौध, बीजामृत, जीवामृत तैयार कराना तथा आदान उत्पादन इकाई अनुदान सहायता।
• ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण :- इस प्रशिक्षण हेतु 125 रूपये प्रति कृषक प्रति दिवस का प्रावधान रखा गया है।
• कृषकों को जैविक बीज/पौध, बीजामृत, जीवामृत इत्यादि आदान/उत्पादन ईकाई के लिये देय सहायता :- इस हेतु आदान की कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 800 रूपये प्रति कृषक अनुदान देय है।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>बीज मिनीकिट राज्य योजना/ एन.एफ.एस.एम.– तिलहन, दलहन</td><td>इन योजनाओं के अन्तर्गत महिला कृषकों को मिनिकिट की कीमत का 10 प्रतिशत टोकन राशि वसूल करते हुए बीज मिनिकिट्स उपलब्ध कराये जाते हैं।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>फसल प्रदर्शन</td><td>• कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम मूंगफली में 10000 रु., सोयाबीन में 6000 रु., अरण्डी, सरसों एवं अलसी में 3000 रु., तिल में 1800 रु. व तारामीरा में 2090 रु. तथा सरसों के साथ मधुमक्खी पालन पर 5000 रु.प्रति हैक्टर जो भी कम हो, एन.एफ.एस.एम. (तिलहन) योजनान्तर्गत सहायता देय है।</td></tr>
</table>

		• ग्वार में 6110 रु., गेहूँ में 7500 रु.तथा मक्का में 5000 रु. एवं जौ में 6000 रु. प्रति हैक्टर रा.कृ.वि. योजनान्तर्गत सहायता देय है। • ग्वार में 6110 रु., गेहूँ में 7500 रु.एवं जौ में 6000 रु. प्रति हैक्टर राज्य योजनान्तर्गत सहायता देय है। • खरीफ दलहन में 7500 रु., रबी दलहन में 9000 रु., गेहूँ में 7500 रु व न्यूट्री सीरियल्स, मक्का में 5000 रु. ज्वार में 3670 रु.व बाजरा में 3600 रु. एवं जौ में 6000 रु. तथा वाणिज्यिक फसल (कपास) में बीज व अन्य व्यवस्थाओं के लिए 7000 रु. प्रति हैक्टर एन.एफ.एस.एम. योजनान्तर्गत सहायता देय है।
14.	**कांटेदार तारबन्दी** पर अनुदान	प्रत्येक किसानों को अधिकतम 400 मीटर की सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40,000 रु. जो भी कम हो। अनुदान कम्यूनिटी बेसिस पर जिसमें कम से कम 3 कृषक एवं 3 हैक्टर जमीन हो, को देय है। 400 मीटर से कम की लम्बाई की ताराबन्दी पर अनुदान राशि की गणना आनुपातिक आधार पर की जाकर अनुदान देय होगा।
15.	**आधार व प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण**	
	आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन-तिलहनी फसलें	
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –तिलहन	10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर उत्पादन हेतु राशि 2500 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देय है। उक्त राशि में से बीज उत्पादक किसान को राशि 1875 रुपये प्रति क्विंटल देय है।
	प्रमाणित बीज उत्पादन–	
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन	10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज उत्पादन पर राशि 5000 रुपये प्रति क्विंटल, जिसमें से 75 प्रतिशत अनुदान राशि बीज उत्पादन किसान को देय है।
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– न्यूट्री– सीरियल्स	10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज उत्पादन पर राशि 3000 रुपये प्रति क्विंटल, जिसमें से 75 प्रतिशत अनुदान राशि बीज उत्पादन किसान को देय है।
	प्रमाणित बीज वितरण–	
	तिलहनी फसलें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –तिलहन	**किस्में** – 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 4000 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो अनुदान देय है। **संकर किस्में/तिल**– 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित संकर/तिल किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 8000 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो अनुदान देय है।
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– दलहन (मूंग, अरहर, उड़द, मोठ, चना)	10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 5000 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 2500 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– न्यूट्री सीरियल्स (बाजरा, ज्वार)	**किस्में**:– 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 3000 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 1500 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। **संकर किस्में**:– संकर किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 10000 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– मोटा अनाज (मक्का, जौ)	**किस्में**:– 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 3000 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 1500 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। **संकर किस्में**:– मक्का संकर किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 10000 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं)	**किस्में**:– 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 2000 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 1000 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
	प्रमाणित बीज वितरण नॉन एन.एफ.एस.एम. जिलों में	
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	**न्यूट्री-सीरियल्स** (बाजरा, ज्वार) **मोटा अनाज** (मक्का, जौ) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (मोटा अनाज) अन्तर्गत देय अनुदान के समान।
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (ग्वार)	10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 1200 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो अनुदान देय है।
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (गेहूँ)	10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 2000 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या 1000 रूपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।

16.	**मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना** (एम.बी.एस.वाई.)	किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए उनके खेतों पर गुणवत्ता युक्त उन्नत बीज उत्पादन हेतु गेहूँ, जौ, चना, मूंगफली, मोठ, ज्वार, सोयाबीन, मूँग एवं उड़द फसलों का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिए जाने हेतु कृषक समूह में से चयनित कृषकों को आवश्यक आधार/प्रमाणित बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने एवं कृषक प्रशिक्षण कराये जाने का प्रावधान है।

17. पौध संरक्षण

क्र.स	योजना का नाम	अनुदान पद्धति	अधिकतम देय अनुदान (रूपये में)
1	एनएफएसएम (तिलहन/दलहन/गेहूँ / न्यूट्रीसीरियल्स/वाणिज्य फसल/मोटा अनाज) एवं राज्य योजनान्तर्गत	पौध संरक्षण रसायन/खरपतवारनाशी/बायो ऐजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड पर कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रूपये प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो अनुदान सहायता देय है।	
2	एनएफएसएम ऑयल सीड योजनान्तर्गत आई.पी.एम. आधारित एफ.एफ.एस प्रशिक्षण	30 व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु	26700 रू.

योजनावार पौध संरक्षण उपकरणों पर देय अनुदान

योजना का नाम	श्रेणीवार यंत्र/उपकरण का नाम	प्रति उपकरण/प्रति लाभार्थी अधिकतम देय अनुदान	
		एस.सी. / एस.टी. / लघु सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए कीमत का	अन्य कृषकों के लिए कीमत का
एनएफएसएम (ऑयल सीड)	(i) हस्तचलित पौ.सं. उपकरण (नेपसेक स्प्रेयर/फुट स्प्रेयर)	50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रू. प्रति उपकरण	40 प्रतिशत या अधिकतम 600 रू. प्रति उपकरण
	(ii) पावर चलित पौ.सं. उपकरण (पावर स्प्रेयर सोलर/बैटरी चालित)		
	16 लीटर क्षमता से कम वाले	50 प्रतिशत या अधिकतम 3800 रू. प्रति उपकरण	40 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रू. प्रति उपकरण
	16 लीटर क्षमता से अधिक वाले	50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रू. प्रति उपकरण	40 प्रतिशत या अधिकतम 4000 रू. प्रति उपकरण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन/गेहूँ/ न्यूट्री-सीरियल्स)	हस्तचलित पौ.सं. उपकरण (नेपसेक स्प्रेयर/ फुट स्प्रेयर)	50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रू. प्रति उपकरण	40 प्रतिशत या अधिकतम 600 रू. प्रति उपकरण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन/गेहूँ)	पावर चलित पौ.सं. उपकरण (पावर स्प्रेयर सोलर/बैटरी चालित)		
	8 से 12 लीटर क्षमता वाले	50 प्रतिशत या अधिकतम 3100 रू. प्रति उपकरण	40 प्रतिशत या अधिकतम 2500 रू. प्रति उपकरण
	12 से 16 लीटर क्षमता वाले	50 प्रतिशत या अधिकतम 3800 रू. प्रति उपकरण	40 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रू. प्रति उपकरण
	16 लीटर से अधिक क्षमता वाले	50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रू. प्रति उपकरण	40 प्रतिशत या अधिकतम 8000 रू. प्रति उपकरण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	ट्रेक्टर माउण्टेड/ ऑपरेटेड स्प्रेयर्स	50 प्रतिशत या अधिकतम 37000 रू. प्रति उपकरण	40 प्रतिशत या अधिकतम 28000 रू. प्रति उपकरण

18.	योजना/ गतिविधि	एस.एम.ए.एम./एन.एफ.एस.एम. (तिलहन)		
	यंत्रीकरण (ट्रेक्टर/पावर ऑपरेटेड यंत्र)	हार्सपावर रेन्ज	SC/ST/लघु /सीमान्त व महिला कृषकों को मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत	अन्य श्रेणी के कृषकों को मूल्य का अधिकतम 40 प्रतिशत
	सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल	20 बी.एच.पी. से कम	15000 रू.	12000 रू.
		20–35 बी. एच. पी तक	18000 रू.	16000 रू.
		35 बी.एच.पी. से अधिक	28000 रू.	22400 रू.

	डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो	20 बी.एच.पी. से कम	20000 रू.	16000 रू.
		20–35 बी. एच. पी तक	30000 रू.	25000 रू.
		35 बी.एच.पी. से अधिक	50000 रू.	40000 रू.
	मल्टी क्रॉप थ्रेसर	20 बी.एच.पी. से कम	30000 रू.	25000 रू.
		20–35 बी. एच. पी तक	40000 रू.	30000 रू.
		35 बी.एच.पी. से अधिक	250000 रू.	200000 रू.
	रोटावेटर	20–35 बी. एच. पी तक	42000 रू.	34000 रू.
		35 बी.एच.पी. से अधिक	50400 रू.	40300 रू.
	ट्रेक्टर ऑपरेटेड रीपर	20 बी.एच.पी. से कम	30000 रू.	24000 रू.
		20–35 बी. एच. पी तक	40000 रू.	32000 रू.
		35 बी.एच.पी. से अधिक	75000 रू.	60000 रू.
	रिज फरो प्लांटर	20 बी.एच.पी. से कम	30000 रू.	24000 रू.
		20–35 बी. एच. पी तक	40000 रू.	32000 रू.
		35 बी.एच.पी. से अधिक	75000 रू.	60000 रू.
	मल्टी क्रॉप प्लांटर	20 बी.एच.पी. से कम	30000 रू.	24000 रू.
		20–35 बी. एच. पी तक	40000 रू.	32000 रू.
		35 बी.एच.पी. से अधिक	75000 रू.	60000 रू.
	चिजल प्लाऊ	20 बी.एच.पी. से कम	10000 रू.	8000 रू.
		20–35 बी. एच. पी तक	20000 रू.	16000 रू.

नोट–
1. उपरोक्त वर्णित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर / पावर टिलर / शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है।
2. अन्य सभी अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुरूप देय होगा।
3. एन.एफ.एस.एम. (गेहूँ, दलहन एवं तिलहन) योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों पर एस.एम.ए.एम. योजना के प्रावधानों के अनुसार ही अनुदान देय है।

19. कस्टम हायरिंग केन्द्र योजना	कृषि उपकरणों को किराये पर देने के कस्टम हायरिंग सेन्टर्स (कृषि यंत्र किराया केन्द्र) स्थापित करने हेतु सहायता :– राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन–कृषि यंत्रीकरण के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के अन्तर्गत उन्नत कृषि यंत्रों को कृषकों को किराये पर उपलब्ध कराने के लिये स्थापित किये जाने वाले कस्टम हायरिंग सेन्टर्स पर कृषि यंत्रों की कुल परियोजना लागत 40 प्रतिशत अथवा योजनान्तर्गत कृषक श्रेणीवार / यंत्रवार अधिकतम राशि, दोनों में जो भी कम हो, का अनुदान 4 वर्ष के लॉक इन पीरियड एवं बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
20. कृषकों को पुरस्कार-आत्मा योजना **राज्य योजना**	• राज्य स्तरीय (10 नवाचारी कृषक) 50,000 रूपये, प्रति कृषक पाँच अलग– अलग गतिविधियों में प्रति गतिविधि दो कृषकों को देय है। • जिला स्तरीय (320 नवाचारी कृषक) 25,000 रूपये, प्रति कृषक जिलेवार पाँच अलग–अलग गतिविधियों में प्रति गतिविधि दो कृषकों को देय है। • पंचायत समिति स्तरीय (1430 नवाचारी कृषक) 10,000 रूपये, प्रति कृषक ब्लॉक वार पाँच अलग–अलग गतिविधियों में एक कृषक प्रति गतिविधि को देय है। • जैविक खेती पुरस्कार (3 राज्य स्तरीय कृषक) 1,00,000 रूपये, प्रति कृषक पुरस्कार देय है।
21. कृषि वानिकी सबमिशन	मिशन अन्तर्गत किसानों को खेत की मेड पर या खेत में कम या सघन घनत्व के वृक्षारोपण करने एवं नर्सरी विकास हेतु किसानों को छोटी नर्सरी, बडी नर्सरी व हाईटेक नर्सरी पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है।

अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट
www.agriculture.rajasthan.gov.in
या

किसान कॉल सेन्टर - 1800 180 1551 पर या
नजदीकी कृषि विस्तार कार्यालय में सम्पर्क करें।

कृषि विभाग राजस्थान DOA

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कृषक हित में प्रकाशित